(2)

1

संख्या-एस0ई0-684/दस-2002-6(1)ए/99

प्रेषक,

श्री माम राज सिंह,
सचिव,
वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय,
पिकैडिली टॉप, चतुर्थ तल (छठा मंजिल) 22-स्टेशन रोड,
लखनऊ।

वित्त (सेवायें) अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक:: 27 मार्च, 2002

विषय:- स्वयं आहरण-वितरण अधिकारी अथवा प्रतिनियुक्ति पद से सेवा निवृत्त अथवा अन्यथा सेवा से पृथक होने वाले अधिकारी/कर्मचारी के सामूहिक बीमा योजना संबंधी दावे के निस्तारण के संबंध में।

महोदय,

उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना का विकेन्द्रीकरण शासनादेश संख्या-बीमा-768/दस-99, दिनांक 16.7.99 द्वारा किये जाने के फलस्वरूप कतिपय प्रकरणों के निस्तारण में आ रही कठिनाईयों के निराकरण के संबंध में कृपया अपने पत्र संख्या-सा0बी0नि0-लेखा संकलन-निर्देश-21/4/2001, दिनांक 2.11.2001, का संदर्भ ग्रहण करें।

2. उक्त कठिनाईयों के निराकरण हेतु सम्यक विचारोपरान्त महामहिम राज्यपाल महोदय सामूहिक बीमा योजना के दावों के निस्तारण की निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:---

1- अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के ऐसे अधिकारी जो केन्द्रीय समूह बीमा योजना के लिए विकल्प न देकर उ0प्र0 द्वारा संचालित सामूहिक बीमा के विकल्प दिये हैं तथा प्रशासनिक सिविल सेवा के स्वयं आहरण अधिकारी के दावे उ0प्र0 शासन के इरला चेक, वेतन पर्ची प्रकोष्ठ द्वारा निदेशक, सा0बी0नि0 निदेशालय को प्रेषित किये जायेंगे।

2- अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के ऐसे अधिकारी जो प्रादेशिक सिविल सेवा से भिन्न अन्य प्रादेशिक सेवा संवर्ग से पदोन्नत होकर अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा में आ जाते हैं और उनके द्वारा केन्द्रीय समूह बीमा योजना के लिए विकल्प दिया गया है, के दावे उनके मूल संवर्गों के संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा निदेशक, सामूहिक बीमा निदेशालय, उ0प्र0 को प्रेषित किये जायेंगे।

3- अखिल भारतीय पुलिस सेवा के ऐसे अधिकारी जो केन्द्रीय [illegible]

के लिए विकल्प दिये है तथा प्रादेशिक पुलिस सेवा के ऐसे अधिकारी जो प्रोन्नत होकर अखिल भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हो जाते है, के दावे उत्तर प्रदेश मुख्यालय के वित्त नियंत्रक के द्वारा निदेशक, सामूहिक बीमा निदेशालय, उ0प्र0 को निस्तारण हेतु प्रेषित किये जायेंगे।

4-अखिल भारतीय वन सेवा के ऐसे अधिकारी, जो केन्द्रीय बीमा योजना के लिए विकल्प न देकर उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित सामूहिक बीमा योजना के लिए विकल्प दिये है तथा प्रादेशिक वन सेवा के ऐसे अधिकारी जो प्रोन्नत होकर अखिल भारतीय वन सेवा के सदस्य हो जाते है, के दावे प्रमुख वन संरक्षक कार्यालय के वित्त नियंत्रक के द्वारा निदेशक, सामूहिक बीमा निदेशालय को निस्तारण हेतु प्रेषित किये जायेंगे ।

5. वित्त एवं लेखा सेवा के स्वंय आहरण अधिकारी एवं न्यायिक सेवा के स्वंय आहरण अधिकारी के दावे निदेशक, कोषागार। शिविर कार्यालय, इलाहाबाद। के द्वारा निदेशक, सामूहिक बीमा निदेशालय, उ0प्र0 को निस्तारण हेतु प्रेषित किये जायेंगे ।

6. राज्य सरकार के उपरोक्त प्रस्तर-1 से 5 में उल्लिखित संवर्ग के ऐसे अधिकारी / कर्मचारी जो वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर रहते हुये सेवा निवृत्त अथवा अन्यथा सेवा से पृथक हो जाते है, के दावे प्रस्तर-1 से 5 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार तथा उससे भिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों के दावे उनके पैतृक विभागाध्यक्षों के द्वारा निदेशक, सामूहिक बीमा निदेशालय, उ0प्र0 को निस्तारण हेतु प्रेषित किये जायेंगे ।

7. उपरोक्त श्रेणियों से भिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों के दावे पूर्वत शासनादेश संख्या-बीमा-768/दस-99/61/ए/99, दिनांक 16.7.1999 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार निर्धारित किये जाते रहेंगे ।

8. उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 16.7.1999 के साथ संलग्न बी0एम0-12 एवं बी0एम0-13 के स्थान पर योजना संबंधी मासिक प्राप्तियों एवं व्ययों का विवरण संलग्न प्रारूप पर निदेशक, सामूहिक बीमा निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा शासन को प्रेषित किया जायेगा।

संलग्नक-यथोपरि ।

भवदीय,

(राम राज सिंह)

सचिव ।

...3

संख्या-एस0ई0-684(1)/दस-2002, तद्दिनांक

प्रतिलिपि- 1- श्री राज्यपाल, सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3- विधान सभा/विधान परिषद, सचिवालय, उ0प्र0, लखनऊ।
4- रेजीडेन्ट कमिश्नर/पे एकाउण्ट आफिस, नई दिल्ली।
5- इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश ।
6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 को इस अभ्युक्ति के साथ कि समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारियों/कोषाधिकारियों को तदनुसार सूचित करें।
7- रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं लखनऊ।
8- निदेशक, उ0प्र0 वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण व शोध संस्थान।
9- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय।
10- प्रधान महालेखाकार, उ0प्र0 को 5 प्रतियां कि महालेखाकार-सम्प्रेक्षय को भी उपलब्ध करायी जा सके।
11-सचिवालय के समस्त अनुभाग।
12- तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, उ0प्र0 6वां तल, योजना भवन, लखनऊ।
13- संयुक्त निदेशक, कोषागार (सिविल कार्यालय), इलाहाबाद।
14- निदेशक, विभागीय लेखा, उ0प्र0, लखनऊ।
15- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष ।

आज्ञा से,

(प्रभात चन्द्र सिंह)
अनुसचिव।

क्र०सं०	कोषागारों के नाम	पुलिस विभाग के कर्मचारियों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों को किया गया भुगतान			पुलिस विभाग के कर्मचारियों को किया गया भुगतान			महायोग
		बीमा निधि	बचत निधि	योग	बीमा निधि	बचत निधि	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	5+8

वर्ष ———————— माह ————————

प्रपत्र संख्या-5 (संशोधित)

लेखाशीर्षक- "8011-बीमा तथा पेंशन निधि-107-राज्य सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना-01-उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना-बीमा निधि-0101-पुलिस विभाग के कर्मचारियों को छोड़कर शेष कर्मचारियों से प्राप्त धनराशि-0102-पुलिस विभाग के कर्मचारियों से प्राप्त धनराशि-02-उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना-बचत निधि-0201-पुलिस विभाग के कर्मचारियों को छोड़कर शेष कर्मचारियों से प्राप्त धनराशि-0202-पुलिस विभाग के कर्मचारियों से प्राप्त धनराशि"

क्र0सं0	कोषागार का नाम	पुलिस विभाग के कर्मचारियों को छोड़कर शेष कर्मचारियों से प्राप्त धनराशि			पुलिस विभाग के कर्मचारियों से प्राप्त धनराशि			महायोग (5+8 का योग)
		बीमा निधि	बचत निधि	योग	बीमा निधि	बचत निधि	योग	
1	2	3	4	5(3+4)	6	7	8(6+7)	9

संख्या:एस0ई0-489/दस-2003-6(1)/99

प्रेषक,

श्री तोताराम मीना,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

वित्त(सेवायें) अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 25 मार्च, 2004

विषय: राज्य सिविल सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नत होने वाले अधिकारियों का सामूहिक बीमा दावा ।

महोदय,

शासनादेश संख्या:एस0ई0-684/दस-2002-6(1)/99, दिनांक 27 मार्च, 2002 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सिविल सेवा (पी0सी0एस0) से भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई0ए0एस0) में प्रोन्नत होने वाले अधिकारियों के सामूहिक बीमा योजना संबंधी दावों के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

(1) दिनांक 1-10-1999 के पूर्व पी0सी0एस0 संवर्ग के जो अधिकारी आई0ए0एस0 संवर्ग में पदोन्नत हुये हैं तथा जिन्होंने केन्द्रीय समूह बीमा योजना की सदस्यता ग्रहण कर ली है, उनके पी0सी0एस0 सेवाकाल से संबंधित राज्य सामूहिक बीमा योजना के दावों का प्रेषण शासन के नियुक्ति विभाग द्वारा सामूहिक बीमा निदेशालय को किया जायेगा ।

श्री दीप
29-03-04

(2) पी0सी0एस0 संवर्ग के ऐसे अधिकारी जो आई0ए0एस0 संवर्ग में दिनांक 1-10-1999 अथवा उसके बाद पदोन्नत हुये हैं और केन्द्रीय समूह बीमा योजना की सदस्यता ग्रहण कर ली है, उनके पी0सी0एस0 सेवाकाल के बीमा योजना से संबंधित दावों का प्रेषण शासन के इरला चेक (वेतन पर्ची प्रकोष्ठ) द्वारा सामूहिक बीमा निदेशालय को किया जायेगा ।

(3) पी0सी0एस0 संवर्ग के ऐसे अधिकारी जो आई0ए0एस0 संवर्ग में पदोन्नत हो गये हैं, परन्तु जिन्होंने केन्द्रीय समूह बीमा योजना की सदस्यता ग्रहण नहीं की है बल्कि राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के सदस्य बने हुये हैं, उनके पी0सी0एस0 तथा आई0ए0एस0 सेवाकाल के दावे एक साथ उनके सेवानिवृत्त के उपरान्त यदि सेवानिवृत्ति की तिथि 1-10-1999 अथवा उसके बाद आ

[signature] ------2/-

(7)

तो शासन के इरला चेक (वेतन पर्ची प्रकोष्ठ) द्वारा सामूहिक बीमा निदेशालय को भेजे जायेगें । यदि सेवानिवृत्ति की तिथि 1-10-1999 के पूर्व की है, तो उक्त दावे नियुक्ति विभाग द्वारा सामूहिक बीमा निदेशालय को भेजे जायेंगें ।

(4) उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा व बचत योजना के दावों से संबंधित उक्त प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से लागू होगी ।

(5) उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा व बचत योजना से संबंधित पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा ।

भवदीय,

(सीताराम मीना)
सचिव ।

संख्या:एस0ई0-488(1)/दस-2004, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- श्री राज्यपाल सचिवालय ।
2- विधान सभा/विधान परिषद सचिवालय ।
3- सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
4- प्रमुख सचिव, नियुक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
5- इरला चेक (वेतन पर्ची प्रकोष्ठ) उत्तर प्रदेश शासन ।
6- निदेशक, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, लखनऊ को उनके पत्र संख्या:सामूहिक बीमा-वि0यो0-नई दिल्ली/इरला-18/877964/2003, दिनांक 27-6-2003 के संदर्भ में ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- महालेखाकार, प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद ।

आज्ञा से,

(एम0एस0 सिद्दीकी)
अनु सचिव ।